राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांकः– मुसप्र/2017/1191 दिनांकः– 27/3/17

आदेश

पूर्व में जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/2015/1000 दिनांक 22.12.2015 एवं 1504 दिनांक 03.03.2015 के द्वारा कुड़ी भगतासनी आवासीय योजना, जोधपुर के विभिन्न आय वर्ग के फ्लैट (जी+3) को नीलामी से निस्तारण करने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को अब उप आवासन आयुक्त, वृत–प्रथम, जोधपुर, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय एवं मुख्य अभियन्ता–द्वितीय के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावानुसार एवं बोर्ड की 229वीं बैठक दिनांक 27.01.2016 के बिंदु सं. 229.21 के निर्णयानुसार पूर्व में जारी आदेश दिनांक 22.12.2015 एवं 03.03.2015 में वर्णित फ्लेटों को खुली बिक्री योजना के माध्यम से नगद भुगतान पद्धति के द्वारा नियमानुसार निस्तारित किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. फलटों (आवासों) आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है।
2. उक्त फ्लेटों (आवासों) के अलावा स्कीम में कोई भी अन्य फ्लेट खुली बिकी योजना हेतु रिक्त नहीं है।
3. उक्त फ्लेटों (आवासो) का निस्तारण उचित प्रचार–प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. फ्लेटों (आवासों) का निस्तारण खुली बिक्री योजना के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. प्रस्तावित फ्लेटों (आवासों) में किसी भी प्रकार का विवाद/न्यायिक विवाद लम्बित नहीं है एवं विधिवत निरस्त किये गये है साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि निस्तारण हेतु प्रस्तावित फ्लेटों बाबत किसी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी फ्लेट किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा नोट शीट पैरा संख्या 19/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त महो. राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि, रा0आ0म0, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता–द्वितीय, रा0 आ0 मा0, जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव–मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त –प्रथम, रा0आ0म0 जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, रा0आ0म0 जोधपुर।
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

सम्पदा प्रबंधक (मु.)